

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमंडल खण्डवा (म0प्र0)

दूरभाष क (0733)-2223244 ई-मेल dfot.khd@mp.gov.in

खंडवा, दिनांक 20/2/2023

क्रमांक/मा.चि./2023/661
प्रति,

मुख्य वनसंरक्षक,
खण्डवा वृत्त खण्डवा

विषय:- खरगोन एवं खण्डवा जिले में इंदौर-एदलाबाद (धनगांव से बोरगांव सेक्शन) के फोरलेन निर्माण/चौडीकरण हेतु बडवाह वनमण्डल की 3.20 हेक्टेयर वनभूमि एवं खण्डवा वनमण्डल की 0.477 हेक्टेयर वनभूमि तथा 0.461 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि कुल 4.138 हेक्टेयर वनभूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, खण्डवा को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:- प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुडा भवन म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-5/1161/2022/10-11/539 भोपाल दिनांक 07.02.2023

---000---

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में निवेदन है कि खरगोन एवं खण्डवा जिले में इंदौर-एदलाबाद (धनगांव से बोरगांव सेक्शन) के फोरलेन निर्माण/चौडीकरण हेतु बडवाह वनमण्डल की 3.20 हेक्टेयर वनभूमि एवं खण्डवा वनमण्डल की 0.477 हेक्टेयर वनभूमि तथा 0.461 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि कुल 4.138 हेक्टेयर वनभूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, खण्डवा को उपयोग पर देने के संबंध में बिंदु क्रमांक 02 एवं 06 के संबंध में प्रतिवेदन निम्नानुसार है:-

क्र.	बिंदु	विवरण
02	DFO shall be submitted detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concern DFO needs to be submitted.	आवेदक संस्था से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार सडक निर्माण में प्राप्त मलवे का उपयोग सडक निर्माण मे पुनः उपयोग कर लिया जावेगा अतः सडक निर्माण स्थल से मलवे के निस्तार की कोई आवश्यकता नही रहेगी।
06	Since violation has been reported, a detail report in accordance with clause 1.21 of FCA guideline need to be submitted w.r.t. Extent/area of violation date when cognizance/action was taken. Authority on whose orders violation was committed, action taken by the state forest department.	वनमण्डल सामान्य खण्डवा के अंतर्गत वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत उल्लंघन नही हुआ है।

आवेदक संस्था द्वारा दर्शित 01 से 06 शर्तों के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसकी प्रति संलग्न है। उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्न उपरोक्तानुसार

वनमण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमंडल खंडवा
खंडवा, दिनांक 20/2/2023

पृष्ठांकन क्रमांक/मा.चि./2023/662
प्रतिलिपि :-

1- प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
संलग्न उपरोक्तानुसार

वनमण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमण्डल खण्डवा